

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत..... सहायक कलक्टर
(SDO) बायन..... मुकाम.....

..... वगैरा राम बनाम टीकराम वर्मा

किस्म मुकदमा..... 20 आवेदन 111, 128 RLR नं..... 42/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तापील में जारी हुए
04/02/2022 28/02/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री..... जगदीश गोदारा..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... 111, 128 RLR..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/02/22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायन</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी/गोदारा के नोटिस तामिल बुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विधा गण/ विप्रार्थी/गोदारा वाकजुड तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय लीन वार आवाज लगाई गई प्रतिक्रिया आवाज 5.45 PM पर लगाई विप्रार्थी/गोदारा स्वयं या उनकी कौर से कोई अधि- वक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी/गोदारा के विरुद्ध एडवोकेट डायरे- क्टरी अमल में लाई जाती है।</p> <p>11</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायन</p>	

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
23/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कमिश्नर (S.D.O) बायतु</p>

न्यायालय उपखण्ड
प्रार्थी
23/03/2022
बावलाराम पुत्र उमा
जाति जाट
पटवार
तहसील

23/03/2022

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 157

दिनांक:- 23/3/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बगताराम पुत्र उमाराम,
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. टीकुराम पुत्र अचलाराम वगैरा 05,
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 42/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - बेरी नाडी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 503/31, 507/31 रकबा क्रमशः 1.6187, 2.6224 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2022 / 158 - 162

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बगताराम पुत्र उमाराम,
4. विप्रार्थी श्री टीकुराम पुत्र अचलाराम वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 23/03/2022

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु